

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/560

दिनांक: 16.01.2026

आदेश

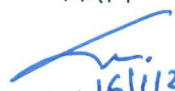
सां.आ. संख्या- 145/2026 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47-क के उप नियम (2) के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी सदस्य पदों के लिए उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को ऐसी विधि से मुद्राबंद (Sealed) करेगा और पृथकतः सुरक्षित (Secure Separately) करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगायी जायेगी कि बिना मुद्राओं को तोड़ें युनिटों को खोलना सम्भव नहीं होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4171 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. संख्या 121/2019) को अधिक्रमित करते हुए मतदान के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा वोटिंग मशीनों को सीलबन्द करने एवं सुरक्षित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :-

1. मतदान समाप्त होने के पश्चात् 'Close' बटन का कैप हटाकर 'Close' बटन दबाएं एवं 'Close' बटन का कैप वापस लगाएं।
2. कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट/यूनिट्स को वियोजित/पृथक (Disconnect) किया जावे।
3. बैलेट यूनिट/यूनिट्स तथा कन्ट्रोल यूनिट को पुनः उनके वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
4. वहन बक्सों के दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्राबंद कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्राबंद करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टता दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकर इन्हें चपड़ी से मुद्राबंद कर दें।
5. कन्ट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टताओं में नगरपालिका का नाम, वार्ड सदस्य संख्या, कन्ट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख आदि अंकित की जाएगी।
6. बैलेट यूनिट/यूनिट्स पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टताओं में- नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का विवरण वार्ड संख्या, बैलेट यूनिट/यूनिट्स का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख आदि अंकित की जायेगी।

7. अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जावे।

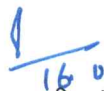
भवदीय


16/11/26
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/561-561
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 16.11.2026

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


16.11.2026.
(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव